सं0सं0–1/विविध–51/2015– 1119(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 30/9/2015

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मानक के अनुरूप प्रति चिकित्सा महाविद्यालय जूनियर रेजिडेन्ट के 76 (छिहत्तर), अर्थात् कुल 228 (दो सौ अठ्ठाईस), पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य के मेधावी छात्रों के राज्य के बाहर चिकित्सा की पढ़ाई हेतु पलायन रोकने, चिकित्सकों की कमी को कम करने एवं राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–316(1) दिनांक–29.03.07 द्वारा राज्य के तीन जिलों यथा–पश्चिम चम्पारण (बेतिया), पावापुरी (नालन्दा) एवं मधेपुरा में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की गई है।

(2) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एवं वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) में 100 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम0सी0आई0) की मान्यता प्राप्त हो चुकी है एवं शैक्षणिक सत्र 2013–14 से एम0बी0बी0एस0 कोर्स की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा में भी 100 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम0सी0आई0) की मान्यता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। परन्तु इन चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मापदण्ड के अनुरूप जूनियर रेजिडेन्ट का पद सृजित नहीं है, जो एम0सी0आई0 की आपत्तियों का कारण है।

(3) वर्णितस्थिति में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम0सी0आई0) के मापदण्ड के अनुरूप राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा एवं वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) में संलग्न सूची के अनुसार, प्रति चिकित्सा महाविद्यालय जूनियर रेजिडेन्ट के 76 (छिहत्तर), अर्थात् कुल 228 (दो सौ अठ्ठाईस), पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) इन सृजित किये जाने वाले पदों पर वार्षिक अनुमानित व्यय कुल रु0 8,78,22,864/– (रुपये आठ करोड़ अठहत्तर लाख बाईस हजार आठ सौ चौंसठ) मात्र आंका गया है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

क्रमशः

(5) इन सृजित किये जाने वाले पदों पर होने वाले व्यय का वहन गैर–योजना अन्तर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0022–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी (विपत्र कोड–एन2210051050022)/0023– राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया (विपत्र कोड–एन2210051050023)/0024–राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा (विपत्र कोड–एन2210051050024) में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–11.08.2015 में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

(7) राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति सं0सं0–1/विविध–51/2015 के पृष्ठ–...13.../टि0 द्वारा प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/विविध–51/2015 – 1119(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 30/9/2015

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया/वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा)/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य कोषांग /उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य कोषांग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

राजकीय मेडिकल कॉलज, बेतिया में विभिन्न संकायों के लिए सृजित किये जाने वाले जूनियर रेजिडेन्ट के पदों हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय

विवरणी–I

क्र0 सं0	पदनाम	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वार्षिक वेतन	महँगाई भत्ता (107%)	चिकित्सा भत्ता	आवास भत्ता (10%)	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेडिसीन	9300-34800	5400	12	2116800	2264976	28800	211680	4622256
2	टी0बी0 एवं चेस्ट	9300-34800	5400	3	529200	566244	7200	52920	1155564
3	चर्म एवं यौन रोग विभाग	9300-34800	5400	3	529200	566244	7200	52920	1155564
4	मानसिक रोग विभाग	9300-34800	5400	3	529200	566244	7200	52920	1155564
5	शिशु रोग विभाग	9300-34800	5400	6	1058400	1132488	14400	105840	2311128
6	जेनरल सर्जरी विभाग	9300-34800	5400	12	2116800	2264976	28800	211680	4622256
7	हड्डी रोग विभाग	9300-34800	5400	6	1058400	1132488	14400	105840	2311128
8	नेत्र रोग विभाग	9300-34800	5400	3	529200	566244	7200	52920	1155564
9	कान, नाक, गला विभाग	9300-34800	5400	3	529200	566244	7200	52920	1155564
10	स्त्री रोग विभाग	9300-34800	5400	6	1058400	1132488	14400	105840	2311128
11	पी0एम0आर0 विभाग	9300-34800	5400	1	176400	188748	2400	17640	385188
12	बर्न वार्ड	9300-34800	5400	4	705600	754992	9600	70560	1540752
13	ट्रामा वार्ड	9300-34800	5400	4	705600	754992	9600	70560	1540752
14	कैजुएलटी/इमरजेन्सी विभाग	9300-34800	5400	10	1764000	1887480	24000	176400	3851880
	कुल योग–			76	13406400	14344848	182400	1340640	29274288

(रुपये दो करोड़ बानवे लाख चौहत्तर हजार दो सौ अठ्ठासी)

1119(1)
30-9-15

29/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव